न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली प्रार्थना पत्र /FSSA/संख्या : 30/2017

जगदीश प्रसाद गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

सायल

बनाम

श्री लक्ष्मण प्रसाद पुत्र श्री केदारनाथ विक्रेता एवं मालिक के मकान से तिलक नगर भरतपुर निवासी तिलक नगर भरतपुर।

गैर सायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 (1) (ZX) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थिति :

गैर सायल स्वयं।

सत्यमेव जयते

निर्णय

Web Copy - Not Official

दिनांक : 6.12.2017

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 (1) (ZX) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011 विरूद्ध गैरसायल प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को गैर सायल उपस्थित। प्रार्थी उपस्थित नहीं। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 29.4.2017 को दौराने निरीक्षण गैर सायल के मकान के बरामदे में टीन के कनस्तर में लगभग 17 किलोग्राम रसगुल्ला आम जनता को विक्रय हेतु पाये गये। जिसमें

मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–355/एक्ट/2017/376 दिनांक 9.5.2017 द्वारा उक्त खाद्य वस्तु रसगुल्ला का नमूना अवमानक स्तर का पाया गया है। गैर सायल द्वारा अमानक (SusStandard) प्रकृति की खाद्य वस्तु विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 3 (1) (ZX) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011 का उल्लघंन किया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य विश्लेषण अलवर की जॉच रिपोर्ट में जो कमियां पायी गई है उन्हें सहवनवश भूल एवं प्रथम गलती स्वरूप गैरसायल स्वीकार करते है। किन्तु गैर सायल के द्वारा कोई मिलावट अपने स्तर से नहीं की गई है। गैर सायल यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए किसी भी खादय पदार्थ का विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील गैर सायल के कथनों पर मनन किया । दौराने निरीक्षण गैर सायल के मकान के बरामदे से टीन के कनस्तर में लगभग 17 किलोग्राम रसगुल्ला आम जनता को विक्रय हेतु पाये गये जिसका नमूना खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–355/एक्ट/2017/376 दिनांक 9.5.2017 द्वारा अमानक (SusStandard) स्तर का पाया गया है। गैर सायल द्वारा अवमानक स्तर की खाद्य वस्तु विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 3 (1) (ZX) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011 का उल्लघंन किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51–52 के तहत गैरसायलान के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर गैर सायलान को 5000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायलान अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायलान द्वारा रसीद संख्या 000064 दिनांक 6.12.2017 से अर्थदण्ड राशि जमा राजकोष की गई । कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 6.12.2017 को सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,

भरतपुर

Web Copy - Not Official